झारखंड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड विधान-मण्डल (नेता विरोधी दल - वेतन और भत्ता) (संशोधन)

अधिनियम, 2002

सत्यमेव जयते

(सभा द्वारा पारित)

[अधिनियम संख्या-14/2002]

झारखंड विधान मंडल नेता विरोधी दल

(वेतन और भत्ता) (संशोधन)

अधिनियम, 2002

(सभा द्वारा पारित)

झारखंड विधान मंडल में (नेता विरोधी दल वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम–2, 2001) में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरपनवें (53वें) वर्ष में झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ – (i) यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखंड अधिनियम 02, 2001 की धारा–3 (क) का संशोधन :– झारखंड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 01 (इसके आगे उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट) की धारा–3 (क) में अंक एवं शब्द "3,000/–"(तीन हजार) के स्थान पर अंक एवं शब्द 5,000/–"(पाँच हजार) प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. झारखंड अधिनियम, 02, 2001 की धारा–3 (ख) का संशोधन :– झारखण्ड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 01 (इसके आगे उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट) की धारा–3 (ख) में अंक एवं शब्द 1,000/– (एक हजार) के स्थान पर अंक एवं शब्द 5,000/– (पाँच हजार रुपये) प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा–3 (ङ) का संशोधन :– उक्त अधिनियम का धारा–3 (ङ) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जायेगी।

3 (ङ) "विरोधी दल के नेता लोक कारोबार हेतु दैनिक भत्ता के रूप में 500/– (पांच सौ) रुपये प्रतिदिन की दर से पाने का हकदार होंगे।

5. झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा–3 (छ) के बाद 3 (ज) के रूप में निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

"झारखण्ड विधानमंडल नेता विरोधी दल को 2,000/– (दो हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता का भुगतान देय होगा।" तथा 3 (ज) को 3 (झ) के रूप में पढ़ा जाय।

यह विधेयक झारखंड विधान–मंडल (नेता विरोधी दल – वेतन और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002 दिनांक 26 अगस्त, 2002 को झारखण्ड विधान–सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 26 अगस्त, 2002 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

इन्दर सिंह नामधारी,

अध्यक्ष ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

दिनांक 13-9-2002

ह०/- **म० रामा जोयिस,**
राज्यपाल, झारखण्ड ।

सच्ची प्रतिलिपि

(अमरनाथ झा)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०)33--131--5-10-2002--शनि मुण्डा ।